अपील प्राधिकारी-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-के अंतर्गत

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

एस.सी.ओ. 5-10, सेक्टर -16ए फरीदाबाद, पिन:121002

अपील पत्र दिनांक:**11.11.2022**

संदर्भ सं0: ई.डी./सचिवालय/आर. टी. आई./2174 5164 **दिनांक: 09.12.2022**

लोक प्राधिकारी का नाम : पावरग्रिड उ. क्षे-1 मुख्यालय फरीदाबाद -121002

आदेश

ऑनलाइन आर. टी. आई प्रार्थना पत्र पंजीकरण संख्या:पी.जी.सी.आई.एल/आर/ई/22/00347 दिनांक 14.10.2022 द्वारा **श्री वी. के. गौर, सी-115, गली न.8, कांति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली**-110051 से दिनांक 14.10.2022 को आर. टी.आई एम.आई.एस पोर्टल के माध्यम से सी.पी.आई.ओ, उ. क्षे.I के कार्यालय में प्राप्त हुआ । इसके उप्रांत पत्र संदर्भ संख्या: पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./2174/4717 दिनांक 09.11.2022 के माध्यम से आर. टी. आई अधिनियम के नियम 8(1)(e) के तहत जानकारी सी. पी. आई. ओ. उ. क्षे.1 के द्वारा प्रदान की गई क्योंकि बिंदु न. 1 से 4 के द्वारा मांगी गई जानकारी कोई सार्वजनिक हित से सम्बंधित नही है । सी. पी आई. ओ. के द्वारा दी गई जानकारी निम्न है:

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	पावरग्रिड द्वारा जानकारी
1	पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम में स्थित उपकेंद्रों में निर्मित आवासीय परिसर की श्रेणी क्रमश:(A, B, C, D & B1, B2, B3) आवासीय परिसरों की कुल संख्या का विवरण प्रमाणित दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें|	बिंदु न. 1 से 4 तक मांगी गई जानकारी पावरग्रिड उ. क्षे.1 के आवासीय परिसरों एवं परिसरों के आबंटन से सम्बंधित है | आर. टी. आई. अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार सम्बंधित प्राधिकारी को संतुष्टि होनी चाहिए कि जानकारी सार्वजनिक हित से सम्बंधित है | आपके द्वारा बिंदु 1 से 4 के द्वारा मांगी गई जानकारी कोई सार्वजनिक हित से सम्बंधित नही है बल्कि उ. क्षे.1 के कर्मचारियों से सम्बंधित है जो उन कि निजी जानकारी के दायरे में भी आता है ।
2	पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम में ऐसे उपकेंद्रों का प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें कि जहाँ वर्तमान में विभाग द्वारा आवासीय परिसर निर्मित नहीं करवाए गए है|	
3.	पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम के उपकेंद्रों में कार्यरत कार्यपालक/अकार्यपालकों की संख्या एवं उनको	

...2

	श्रेणी सहित आवंटित विभागीय आवास का पूर्ण विवरण प्रमाणित दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें ।	इसलिए उप्रोक्तानुसार मांगी गई जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम 2005 के नियम 8(1) (e) के तहत छुट प्राप्ति के दायरे में है इसलिए जानकारी नही दे सकते।
4.	पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम के उपकेंद्रों में कार्यरत कार्यपालक/अकार्यपालकों की संख्या जिन्हे श्रेणी सहित विभागीय आवास आवंटित अभी तक नही करवाया गया है तथा उन्हें एच.आर.ए./कम्पनी लीज के भुगतान का पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें ।	

अब श्री वी. के. गौर, सी-115, गली न.8, कांति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली-110051 के द्वारा सी. पी. आई. ओ द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट न होने के उपांत अपील पत्र दिनांक 11.11.2022 भेजा है । अपील पत्र दिनांक 11.11.2022 के माध्यम से अपीलकर्ता ने बताया है कि सी.पी.आई.ओ. उ.क्षे.प्रथम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुर्पयोग और जानबूझकर दी गयी सूचना आधारहीन, भ्रामक, मूल विषय के प्रतिकूल और मनगणंत है और आर. टी आई. एक्ट 2005 के नियम 8(1) (e) के प्रतिकूल है ।

अपीलकर्ता से प्राप्त अपील पत्र को पुनः सी. पी. आई. ओ. उ.क्षे.प्रथम को पुनर्विचार के लिये भेजा गया । इस अनुसार सी पी. आई. ओ ने बताया कि आर. टी. आई प्रार्थना पत्र के बिंदु न. 1 से 4 तक की जानकारी उप्रोक्त दी गई है "***बिंदु न. 1 से 4 तक मांगी गई जानकारी पावरग्रिड उ. क्षे.1 के आवासीय परिसरों एवं परिसरों के आबंटन से सम्बंधित है । आर. टी. आई. अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार सम्बंधित प्राधिकारी को संतुष्टि होनी चाहिए कि जानकारी सार्वजनिक हित से सम्बंधित है।***

आपके द्वारा बिंदु 1 से 4 के द्वारा मांगी गई जानकारी कोई सार्वजनिक हित से सम्बंधित नही है बल्कि उ. क्षे.1 के कर्मचारियों से सम्बंधित है जो उन कि निजी जानकारी के दायरे में भी आता है ।

इसलिए उप्रोक्तानुसार मांगी गई जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम 2005 के नियम 8(1) (e) के तहत छुट प्राप्ति के दायरे में है इसलिए जानकारी नही दे सकते ।" और बिंदु न. 4 की जानकारी भी उप्रोक्तानुसार है, टेबल सेटिंग और पेज चैंज कि वजह से बिंदु न. 4 के सामने मैटर नही आ पाया ।

अब आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र एवं अपील पत्र के अनुसार आपके द्वारा मांगी गई जानकारी अधोहस्ताक्षरी के दिशानिर्देशानुसार सी.पी.आई.ओ. उ.क्षे.प्रथम ने अपने पत्र संदर्भ संख्या पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./2174/5155 दिनांक 07/09.12.2022 के द्वारा प्रदान करा दी है । अतः आपके अपील पत्र को बंद (dispose) किया जाता है।

[ए. के. मिश्रा]
कार्यपालक निदेशक, उ.क्षे .I एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
इ-मेल:akmishra2@powergrid.in, फोन न. 0129-2666301

प्रतिलिपि :

1. **श्री वी. के. गौर, सी-115, गली न.8, कांति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली-110051** : आपके अपील पत्र दिनांक 11.11.2022 के संदर्भ में ।
2. **श्री राजेश वी., मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) एवं अधिकृत सी पी आई ओ, उ.क्षे.I:** सूचना एवं रिकार्ड हेतु ।